



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58634

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3981/2026

महन्त गुप्ता उर्फ गोलू

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

: बृज भूषण प्रसाद श्रीवास्तव

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता

: सरकारी अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय सं० - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री बृज भूषण प्रसाद श्रीवास्तव एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री आर.एन. श्रीवास्तव को सुना।
2. यह जमानत आवेदन, आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 276/2025, अन्तर्गत धारा 109(1), 352, 85 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना महुआडीह, जिला देवरिया में विचारण लम्बित रहने के दौरान जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना हेतु दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक पीड़ित का पति अर्थात् सूचनादाता है और केवल वैवाहिक विवाद के कारण उसे वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आरोप के अनुसार, आवेदक एवं उसके परिवारजनों ने घायल अर्थात् आवेदक की पत्नी को चोट पहुँचाई किन्तु आवेदक पर लगाये गये समस्त आरोप पूर्णतः झूठे हैं।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि घटना की तिथि को पीड़िता गलती से गिर गई और उसकी गर्दन में चोट लगी, जो उसकी प्रथम चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट से भी स्पष्ट है, जो पेपरबुक के पृष्ठ 34 पर संलग्न है।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि प्रथम परीक्षण के पश्चात् उसके भाई ने उसे अस्पताल से छुड़ा लिया और उसे अपने साथ ले गया, तत्पश्चात् जब पीड़िता की द्वितीय चिकित्सा परीक्षण अपराह्न 4:38 बजे हुई तो इस चिकित्सा रिपोर्ट में चिकित्सक ने सात चोटें अंकित कीं।
7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि या तो दि० 30.11.2025 की चिकित्सा रिपोर्ट किसी अन्य तरीके से प्राप्त की गई है अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से छुट्टी के पश्चात् पीड़िता को ये चोटें आयी हैं। इसके अतिरिक्त, यह द्वितीय चिकित्सा रिपोर्ट उसकी प्रथम चिकित्सा रिपोर्ट के विपरीत है।
8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि वर्तमान मामले में पीड़िता के अपने कथन के अनुसार आवेदक एवं उसके परिवारजनों ने उसे चोट पहुँचाई, इस आधार पर सामान्य आरोप में भी आवेदक को अभियुक्त बनाया गया है।
9. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह दि० 08.12.2025 से कारागार में है।
10. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों पर प्रस्तुत तर्कों का खण्डन नहीं कर सके।
11. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



12. यद्यपि आवेदक घायल पीड़िता का पति है और कथित घटना में उसकी पत्नी को चोट लगी थी किन्तु अभिलेख पर पीड़िता की दो चिकित्सा परीक्षण रिपोर्टें हैं, जो एक-दूसरे के विपरीत हैं। प्रथम चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता की गर्दन पर एकल लघु कट था एवं तदनन्तर सम्पन्न द्वितीय चिकित्सा परीक्षण के अनुसार, उसे सात चोटें लगी थीं। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि पीड़िता के भाई के कथन के अनुसार, प्रथम परीक्षण के पश्चात् वह पीड़िता को लेकर गया था, इस अवस्था में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पीड़िता की द्वितीय चिकित्सा परीक्षण के सम्बन्ध में प्रस्तुत तर्क को नकारा नहीं जा सकता।

13. इसके अतिरिक्त, प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं आवेदक की पत्नी अर्थात् पीड़िता के कथन से भी यह परिलक्षित नहीं होता कि आवेदक अकेले ने उसे चोट पहुँचाई। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने आवेदक एवं उसके परिवारजनों के विरुद्ध चोट पहुँचाने का आरोप लगाया है और अतएव चोट पहुँचाने के आरोप के सम्बन्ध में आवेदक को सामान्य आरोप के आधार पर उसके परिवारजनों के साथ अभियुक्त बनाया गया है।

14. इसके अतिरिक्त, वर्तमान प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में सात दिन का विलम्ब हुआ है। यह भी स्वीकार्य तथ्य है कि दोनों पक्षकारों के मध्य वैवाहिक विवाद लम्बित था।

15. इसके अतिरिक्त, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह दि० 08.12.2025 से कारागार में है।

16. अतएव, उपरोक्त विवेचित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मेरे मत में, आवेदक जमानत पर मुक्त किये जाने का अधिकारी है।

17. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, यह जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

18. आवेदक - **महन्त गुप्ता उर्फ गोलू** को उपरोक्त प्रकरण में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं समतुल्य धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर मुक्त किया जाये:-

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(i) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथियों पर उपस्थित रहेगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाये।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों के प्रकटीकरण से विरत करने के लिए प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) आवेदक किसी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

19. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की दशा में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त करने हेतु आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

20. यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान में की गई टिप्पणियाँ जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के सम्बन्ध में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

20 मार्च, 2026

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”